Office of the Accountant General (A&E),
Andhra Pradesh and Telangana, Hyderabad – 500 004

सत्यमेव जयते

PM/VI/2014-15/OG-GO/ 06.2015

To
The Director of Treasuries and Accounts
Telangana
4th Floor Rajaram Building
Tilak Road Abids
HYDERABAD

Sir,

Sub: Grant of DR @ 113% from 01.01.2015 To pensioners and family pensioners of Bihar Govt.

Ref: 1. Govt of Bihar No 3A-3/DR/08-2013-4729 V dt 25.05.2015.
2. Accountant General (A&E) Bihar SSA lr No. Pen-IX-Spl.Seal Authority No.223dt 05.06.2015

***

I am to enclose herewith a copy of Govt. order issued by the Bihar Govt. and received under Special Seal Authority issued by the Accountant General (A&E), Bihar, Patna in the reference cited. The same is being placed in the official website of this office (www.ag.ap.nic.in). You are requested to direct all the District Treasury Officers to download the orders and take necessary action at the earliest to minimize hardship to the pensioners.

Yours faithfully

Sr.Accounts Officer

Copy to

1. The Joint Director
   Pension Payment Office
   MJ Road, Nampally
   HYDERABAD — for information and necessary action.

Sr.Accounts Officer

208087286
11/6/15

Office of the Accountant General (A&E)-II Bihar, Patna.

No. Pen-IX-Spl. seal Authority No.— 223 dated — 09.6.2015

382570
22/6/15

To,

The Accountant Genreal (A&E)

Andrapradesh & Telenga, Saifabad
Hyderabad - 500004

Sub : Grant of Deanreness relief to the State Government Pensioners,
Bihar Govt. Resolution No. DR Increase of Pensioners/F.P 107% to 113% w.e.f 1.1.2015
Date :

Sir,

I am to forward herewith Hindi / English versions of copies of Govt. of Bihar, Finance Deptt. Resolution No. Dated for your needful action.

You are requested to circulate this order to all Treasuries / Sub - Treasuries and Public Sector Banks in your Jurisdiction for necessary action.

Please acknowledge the receipt of the same with enclosure.

VI
48
23/6

Yours faithfully,

Sr. Accounts Officer
Bihar, Patna

Encl : Copies of Bihar Govt.
Resolution no. संख्या 3 पें- 3- वे० पु० -(भत्ता)-08/2013-4729-वि० दिनांक 25/5/2015
Dated :

Memo No. Pen-IX-Spl - Bihar dt:

Copy forwarded for information and necessary action to : 06P.

1. Joint Secretary to the Govt. of Bihar, Finance Deptt. Patna.
2. General Secretary, Bihar Pensioner Samaj, Vindya Vasini Sadan, North Sri Krishna Puri, Panta - 800 013.
3. Accounts Officer I.T, A. / Pension - 1

Office of the Accountant General (A&E) INWARD 16 JUN 2015 Andhra Pradesh

Sr. Accounts Officer
Bihar, Patna

pen-01 (PV) 04- 1205 (11-16)

संख्या-3ए-3-वे०पु०-(भत्ता)-08/2013-**4729-वि0**

बिहार सरकार

वित्त विभाग

संकल्प

पटना,दिनांकः-**25/05/2015**

विषयः- राज्य सरकार के पेंशन भोगियों/पारिवारिक पेंशन भोगियों को दिनांक-01/01/2015 के प्रभाव से 107 प्रतिशत के स्थान पर 113 प्रतिशत मंहगाई राहत की स्वीकृति ।

A.G.B. PATNA

वित्त विभाग के संकल्प सं०-9556, दिनांक- 17/10/2014 के द्वारा राज्य सरकार के पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक-01/07/2014 के प्रभाव से 107 प्रतिशत की दर से मंहगाई राहत की स्वीकृति प्रदान की गयी है ।

2. भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के कार्यालय ज्ञाप-42/10/2014-P&PW(G), दिनांक 27/04/2015 के द्वारा केन्द्र सरकार के पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक-01/01/2015 के प्रभाव से मंहगाई राहत की दर को 107 प्रतिशत से बढ़ाकर 113 प्रतिशत किया गया है ।

Pl. circulate it immediately DSS 3/6/15

3. राज्य सरकार ने सम्यक विचारोपरांत निर्णय लिया है कि--

(i) राज्य सरकार के पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक-01/01/2015 के प्रभाव से पुनरीक्षित पेंशन में 107 प्रतिशत के स्थान पर 113 प्रतिशत की दर से मंहगाई राहत का भुगतान किया जायेगा ।

(ii) मंहगाई राहत का भुगतान मूल पेंशन के आधार पर परिगणित कर किया जायेगा ।

Pen-I 4/7/15

(iii) मंहगाई राहत की गणना में 50 पैसे या उससे अधिक पैसे को अगले रुपये में पूर्णांकित कर दिया जाएगा तथा 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जायेगा ।

(iv) उपर्युक्त मंहगाई राहत की राशि का नगद भुगतान किया जायेगा ।

(v) उच्च न्यायालय/बिहार विधान सभा/बिहार विधान परिषद् के पेंशनधारियों को पुनरीक्षित पेंशन में उक्त मंहगाई राहत का भुगतान मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय, पटना /अध्यक्ष, बिहार विधान सभा/सभापति, बिहार विधान परिषद् की स्वीकृति से देय होगा ।

2805/15/10769

4. पेंशन पर मंहगाई राहत का भुगतान पुनर्नियोजित पेंशनरों सहित उन पेंशनभोगियों को भी देय होगी जिन्हें क्षतिपूर्ति पेंशन, वार्धक्य पेंशन, सेवानिवृति एवं असमर्थता पेंशन प्राप्त है । औपबंधिक पेंशन/पारिवारिक पेंशन एवं असाधारण पेंशन पानेवाले को भी यह राहत देय होगी ।

5. पेंशनभोगियों को इस मंहगाई राहत के भुगतान में विलम्ब के परिहार हेतु बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम 206 के अन्तर्गत महालेखाकार, बिहार से बिना प्राधिकार के ही राहत के भुगतान का आदेश राज्य के अन्दर पेंशन लेने वालो के मामले में दिया जाता है । कोषागार पदाधिकारियों को यह भी निदेश दिया जाता है कि बैंकों के माध्यम से भुगतान प्राप्त करने वाले पेशनभोगियों को त्वरित भुगतान कराने के लिए वे सार्वजनिक क्षेत्र के सभी अधिकृत बैंकों को इसकी प्रतियाँ भेज दें । बिहार राज्य के बाहर मंहगाई राहत की निकासी महालेखाकार, बिहार के प्राधिकार पत्र पर ही की जा सकती है । महालेखाकार, बिहार से अनुरोध है कि राज्य के बाहर पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनभोगियों से संबंधित महालेखाकारों को अविलम्ब पेंशन राहत भुगतान के लिए प्राधिकृत किया जाय तथा इसकी सूचना वित्त विभाग को भी दी जाय ।

6. दिनांक–01/01/2015 के प्रभाव से स्वीकृत मंहगाई राहत भुगतान करते समय पूर्ववर्त्ती कंडिकाओं में निहित प्रावधानों का दृढ़ता से पालन किया जाय तथा इस मद में भुगतान की जाने वाली राशि की शुद्धता की जांच हर हाल में प्रत्येक भुगतान के समय कर ली जाय। ऐसा करना भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेदारी होगी ।

आदेश–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-
(दया निधान पाण्डेय)
अपर सचिव, वित्त विभाग ।

ज्ञापांकः–3ए–3–वे0पु0 (भत्ता)–08/2013–**4729–वि0** पटना, दिनांकः–**25/05/2015**

प्रतिलिपिः–महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(दया निधान पाण्डेय)
अपर सचिव, वित्त विभाग ।